न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा।
विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 49 / 2022
राज्य प्रति जगदीश भट्ट व एक अन्य

26–09–2022

वाद पुकारा गया। अभियुक्त जगदीश भट्ट व कैलाश नाथ को जिला कारागार अल्मोड़ा से वीडियों कान्फेंसिंग के माध्यम से उपस्थित कराया गया। अभियुक्त जगदीश भट्ट की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री चामू सिंह गस्याल एवं अभियुक्त कैलाश नाथ की ओर से विद्वान न्यायमित्र श्री गजेन्द्र सिह मेहता उपस्थित हैं। अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री पूरन सिंह कैड़ा एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सों) श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी उपस्थित हैं। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

53ख प्रार्थना–पत्र अभियेाजन की ओर से साक्षी, उप निरीक्षक देवेन्द्र सामन्त कार सरकार की अधिकता से आज न्यायालय उपस्थित नही हो पाने के कारण मामले में साक्ष्य हेतु एक अन्य तिथि चाहने बावत पेश।

सुना। प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार कर मामले में आज की तिथि मुल्तवी की जाती है।

पत्रावली दिनांक 19–10–2022 को अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश की जाये। अभियोजन साक्षियों को नियत तिथि के लिए समन जारी हो।

(मलिक मज़हर सुल्तान)
विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा